फाइल सं. एम-11011/12/न्यू स्कीम/2019-एएमआई(पार्ट-3)
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान कार्यालय, एन. एच. - 4, फरीदाबाद
फोन: 0129-2434348, फैक्स: 0129-2416568, ई-मेल: rgs-agri@nic.in

दिनांकः 08.11.2021

सेवा में,
मुख्य महाप्रबंधक (डीओआर),
नाबार्ड, सी-24, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स,
बांद्रा पूर्व, मुंबई 400 051

विषय : 31 मार्च, 2021 के बाद स्कीम को जारी रखने के अनुदेश के बारे में।

महोदय,

कृपया नाबार्ड मुख्यालय के दिनांक 05-10-2021 के पत्र सं. डीओआर-जीएसएस/852/एएमआई-1/2021-22 का संदर्भ लें जो आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम को 31 मार्च, 2021 के बाद जारी रखने के संबंध में है।

2. इस संबंध में, कृपया डीएमआई मुख्यालय के दिनांक 11.06.2021 के पत्र संख्या एम-11011/12/न्यू स्कीम/2019-एएमआई (पार्ट-3) का संदर्भ लें जिसमें यह बताया गया था कि आईएसएएम की एएमआई उप स्कीम 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक जारी रखी गयी थी। कृपया डीएमआई मुख्यालय के पत्र संख्या एम-11013/12/एडीएम/2013/एएमआईजीएस दिनांक 04.10.2021 का भी संदर्भ लें, जिसमें यह सूचित किया गया था कि आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम को वर्ष 2021-22 में 30 सितंबर, 2021 के बाद भी जारी रखा गया था।

अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह सूचित किया जाता है कि आईएसएएम की एएमआई उप स्कीम को 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, जारी समझा जाए।

3. इस संबंध में, यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं सहित आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के सभी हितधारकों के तत्काल ध्यान में लाया जाए।

भवदीय,

-ह०-
(बी. के. जोशी)
उप कृषि विपणन सलाहकार

प्रति प्रेषित -

1. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4- सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली-110016 को सूचनार्थ और आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए ।
2. प्रभारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को उनके क्षेत्राधिकार के आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के अधीन संबंधित राज्य एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को प्रसार/ सूचित करें।
3. महानिदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को सूचनार्थ
4. निदेशक (विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

फाइल सं. एम-11013/12/एडीएम/2013-एएमआईजीएस
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान कार्यालय एन.एच.- 4, फरीदाबाद
फोन: 0129-2434348, फैक्स: 0129-2416568/ई-मेल: rgs-agri@nic.in

दिनांकः 04.10.2021

सेवामें
1. मुख्य महाप्रबंधक (डीओआर),
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
नाबार्ड, सी-24, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई - 400 051
2. प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
4 सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली - 110 016

विषयः 31 मार्च, 2021 के बाद स्कीमों को जारी रखने के बारे में अनुदेश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 23 सितंबर, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42 (02)/पीएफ-11/2014 का संदर्भ लें। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने कृषि विपणन की एकीकृत स्कीम (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-स्कीम को 30 सितंबर, 2021 से आगे जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. उपर्युक्त संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ, मार्गदर्शन और अनुपालनार्थ है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं सहित आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के सभी हितधारकों के ध्यान में तत्काल लाया जाए।

भवदीय,
-ह॰-
(एम. थंगराज)
संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार

प्रति प्रेषित :-
1. प्रभारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को उनके क्षेत्राधिकार के आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के अधीन संबंधित राज्य एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को प्रसार/ सूचित करें।
2. महानिदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
3. निदेशक (विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।

फा. सं. 42(02)/पीएफ-11/2014
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग
(पीएफसी-1 प्रभाग)

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 23 सितम्बर, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः 31 मार्च, 2021 के बाद स्कीमों को जारी रखने के अनुदेश के बारे में ।

स्कीमों को 31.0.2021 के बाद जारी रखने के संबंध में इस विभाग के दिनांक 10.06.2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. 42(02)/पीएफ-II/2014 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया गया है कि पूर्णतः/समेकित प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में तेजी लाए ताकि व्यय विभाग में प्रस्ताव जारी रखने के लिए मूल्यांकन/अनुमोदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। मंत्रालय/विभाग जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं, को निधि जारी करने के लिए 30.09.2021 तक विस्तार की अनुमति दी गई है।

2. उक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में आगे निम्नलिखित सूचित किया जाता हैः-

(i) मंत्रालय/विभाग जिन्होंने स्कीमों को जारी रखने के लिए व्यय विभाग को अपने पूर्ण/समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए हैं, को 30 सितम्बर, 2021 के बाद भी इन स्कीमों के तहत धनराशि जारी करने की अनुमति है ।

(ii) उन मंत्रालयों/विभागों के मामले में जो 30 सितम्बर, 2021 तक व्यय विभाग को स्कीमों को जारी रखने के लिए पूर्णतः/समेकित प्रस्ताव करने में विफल हो जाते हैं उन्हें प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने तक कोई भी निधि जारी करने के लिए इस विभाग की पूर्व सहमति आवश्यक होगी।

3. इसे वित्त सचिव एवं सचिव(व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

-ह०-
(डॉ. शिवाल्ली एम चौहान)
निदेशक (पीएफसी-I)
दूरभाष 23093109
ई-मेलः shivalli.chouhan@nic.in

सभी सचिव, भारत सरकार
सभी वित्तीय सलाहकार, मंत्रालय/विभाग
मंत्रीमंडल सचिवालय
प्रधानमंत्री कार्यालय
नीति आयोग
रेलवे बोर्ड
आंतरिक संचालन

फाइल सं. एम-11011/12/न्यू स्कीम/2019-एएमआई(पार्ट-3)
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान कार्यालय एन.एच.- 4, फरीदाबाद
फोन: 0129-2434348, फैक्स: 0129-2416568, ई-मेल: rgs-agri@nic.in

दिनांकः 11 जून, 2021

सेवा में
1. मुख्य महाप्रबंधक (डीओआर),
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक,
नाबार्ड, सी-24, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व, मुंबई- 400051

2. प्रबंध निदेशक,
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम,
4-सिरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास, नई दिल्ली - 110 016

विषयः 31 मार्च, 2021 के बाद स्कीमों को जारी रखने के बारे में अनुदेश।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 9 फरवरी, 2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42 (02)/पीएफ-11/2014 का संदर्भ लें। इस संबंध में, सक्षम प्राधिकारी ने कृषि विपणन की एकीकृत स्कीम (आईएसएएम) की कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) उप-स्कीम को 30 जून, 2021 से आगे जारी रखने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2. उपर्युक्त संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए संलग्न है। इसके अतिरिक्त, यह अनुरोध किया जाता है कि इन अनुदेशों को सभी पात्र वित्तीय संस्थाओं/सहकारी संस्थाओं सहित आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के सभी हितधारकों के ध्यान में तत्काल लाया जाए।

भवदीय,
-ह॰-
(बी. के. जोशी)
उप कृषि विपणन सलाहकार

प्रति प्रेषित :-
1. प्रभारी, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/उप कार्यालय, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय से अनुरोध है कि इन अनुदेशों को उनके क्षेत्राधिकार के आईएसएएम की एएमआई उप-स्कीम के अधीन संबंधित राज्य एजेंसियों सहित सभी हितधारकों को प्रसार/सूचित करें।
2. महानिदेशक, सीसीएस राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर को सूचनार्थ ।
3. निदेशक (विपणन), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ ।